ले.प.प्रति.सं.61/2018-19

कार्यालय जिला न्यायाधीश, अल्मोड़ा के **माह जून/2015 से जनवरी/2019** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो **श्री अजय कुमार श्रीवास्तव एवं श्री खजान सिहं सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.02.2019 से 22.02.2019 तक श्री प्रेम चन्द्र, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी** के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री टी0एस0नेगी एवं श्री ललित थपलियाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री सूर्यपाल लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 15.06.2015 से 18.06.2015 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी। जिसमें 04/2008 से 05/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी।
वर्तमान लेखापरीक्षा में **माह 06/2015 से 01/2019** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कुमाऊँ परिक्षेत्र, अल्मोड़ा

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	511.60	409.21	35.64	32.82	_	105.21
2016-17	-	-	578.80	438.10	61.73	57.39	_	145.04
2017-18			636.14	498.37	34.98	32.23	_	140.52
2018-19 (10/18) तक			659.00	384.35	57.48	41.74		-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः शून्य

इकाई को बजट आवंटन (केन्द्र एवं राज्य सरकार) द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **कार्यालय जि□ला न्यायाधीश, अल्मोड़ा** को श्रेणी (सी) की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **उत्तराखण्ड कुमाऊँ परिक्षेत्र** एवं अनुपालन लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं प्रतिवेदन कार्यालय **जि□ला न्यायाधीश, अल्मोड़ा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। विस्तृत जांच हेतु **माह 03/16, 09/16, 05/17 एवं 07/18** को चयनित किया गया। उपरोक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय की अधिकता के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई है।

---------- शून्य ----------

---------- शून्य ----------

<u>प्रस्तरः1-</u> ड्राईग रूम सुसज्जीकरण की धनराशि का समायोजन न किया जाना रू 1.50 लाख।

वित्तीय नियमानुसार जिस वित्तीय वर्ष में धनराशि अग्रिम प्रदान की जाती है उसी वित्तीय वर्ष उक्त धनराशि का समायोजन किया जाना चाहिए।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 385/xxxvi(1)/2013-6एक(2)/06 टी सी न्याय अनुभाग देहरादून दिनांक 13 दिसम्बर 2013 के बिन्दु 06 के अनुसार उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक 06 वर्ष में रू 75000 की धनराशि आवास पर ड्राईग रूम के सुसज्जीकरण हेतु अनुमन्य होगी। इसी के तारत्मय में मा0 जिला न्यायाधीश द्वारा नवम्बर 2015 में रू 75000 की धनराशि एवं फरवरी 2017 में रू 75000 सिविल जज जू0डि0 रानीखेत (अक्टूबर 2018 में रू 75000 सिविल जज जूडि0 द्वाराहाट) को (कुल 150000) की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त कर दी गई थी। जिसके सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि व्यय कर दी गई।

कार्यालय के व्यय बाउचर्स की जांच में पाया गया है कि मा0 जिला न्यायाधीश एवं सिविल जज जू0डि0 रानीखेत द्वारा सम्प्रेक्षा तिथि 01/2019 तक कुल रू 150000 का समायोजन बिल व उपयोगिता प्रमाण पत्र नही दिया गया था।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है सम्बन्धित न्यायिक अधिकारियों से समायोजन बिल प्राप्त कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा। उत्तर मान्य नही है क्योंकि दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्प्रेक्षा तिथि तक समायोजन नहीं किया जाना जाना वित्तीय नियमावली का उल्लंघन है।

अतः रू 1.50 लाख ड्राईग रूम सुसज्जीकरण की धनराशि का समायोजन न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तरः2-</u> लेन-देनों के लेखे की रोकड़बही न बनाया जाना।

वित्तीय नियमानुसार रोकड़बही विभाग का मुख्य अभिलेख होता है जिसमें विभाग के सभी लेन देनों (नगद/चेक/ड्राफ्ट/ई-पेमेंट) का लेखा रोकड़बही में इन्द्राज करना चाहिए।

कार्यालय जिला न्यायाधीश, अल्मोड़ा के लेखा अभिलेखों की जांच में देखा गया कि विभाग द्वारा लेखा परीक्षा अवधि 06/2015 से 01/2019 तक के दौरान ट्रेजरी से किए गए कुल रू 18.02 करोड़ के लेन-देनों (स्थापना+गैर स्थापना) की कोई रोकड़बही नहीं बनाई गयी है। एवं पेटी कैश से संबन्धित लेन देन सादे रजिस्टर में दर्ज किए जा रहे हैं जो वित्तीय नियमों के विरूद्ध है।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 11-सी पंजिका का रखरखाव किया जा रहा है भविष्य में रोकड़ का भी रख रखाव किया जायेगा।

अतः रू 18.02 करोड़ के लेन-देनों के लेखे की रोकड़बही न बनायें जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	**भाग दो -''अ''प्रस्तर संख्या**	**भाग दो -''ब'' प्रस्तर संख्या**	**पू0 न0 ले0 टिप्पणी प्रस्तर सं0**
16/2015-16	-	-	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------- --- ----------- शून्य -----------------------------

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय न्यायाधीश, अल्मोड़ा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित **अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः शून्य**

सतत् अनियमितताएः शून्य

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया है।

क्रं.सं	नाम	पद नाम	कार्यकाल अवधि
1	श्री रविन्द्र मैठाणी	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	17.11.2014 से 10.12.2015
2	डा0 जी0 के0 शर्मा	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	05.01.2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला न्यायाधीश, अल्मोड़ा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार/(सामान्य क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) "महालेखाकार भवन" दिवतीय तल एल-218 कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून** को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र